

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।
आदेश


सं० सं०-4/परिधा-04-01/2016 -1094 (4) पटना, दिनांक- 3-11-16

श्री अरविन्द चौधरी, चालक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बख्तियारपुर, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त विशेष परिस्थिति में स्थानान्तरित करते हुए प्राचार्य, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय पटना में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है।

2. यह स्थानान्तरण श्री चौधरी के अनुरोध पर किया जा रहा है, अतएव इन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. इस स्थानान्तरण आदेश से श्री चौधरी के नियुक्ति की वैधता मान्य नहीं होगा।

4. उक्त आदेश में प्रधान सचिव स्वास्थ्य, बिहार की सहमति प्राप्त है।


(डॉ० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख(प्रशासन)


स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।

सं० सं०-4/परिधा-04-01/2016-1094 (4) /स्वा०, पटना, दिनांक- 3-11-16

प्रतिलिपि-श्री अरविन्द चौधरी, चालक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बख्तियारपुर, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन पटना/प्राचार्य, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बख्तियारपुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख(प्रशासन) के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04 को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख(प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।